



Affiliated to BCCI

bca@biharcricquetassociation.com

दिनांक : 25 मार्च 2022 (25-03-2022)
स्थान : द गोल्डन सनराइज, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना
उपस्थिति : रजिस्टर के अनुसार

अध्यक्षता

माननीय अध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी ने विशेष आम सभा की बैठक की अध्यक्षता की।

कोरम

यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि बैठक के लिए अपेक्षित सदस्यगण इस विशेष आम सभा में उपस्थित हैं, बैठक/सदन की शुरुआत किया गया।

उपस्थित सभी सदस्यों की अनुमति से, वार्षिक आम सभा बुलाने की सूचना जो पूर्व में सभी सदस्यों को दिया गया था, पुनः आज के चर्चा के लिए रिकॉर्ड पर लाया गया।

सभा का संचालन

श्री राकेश कुमार तिवारी ने आगत अतिथियों के स्वागत से करते हुए बिहार की वर्तमान स्थिति से सबों को अवगत करवाते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेशानुसार और क्रिकेटिंग गतिविधियां, बिहार में एक अच्छे वातावरण में संचालित हो इसके लिए इस विशेष आम सभा को आहूत किया गया है।

इसके बाद आम सभा में वर्णित एजेंडों पर चर्चा प्रारम्भ हुआ, चर्चा के प्रारम्भ में सदन में उपस्थित सदस्यों ने श्री सुबीर चन्द्र मिश्र के उपस्थिति पर सवाल उठाया, इस पर श्री सुबीर चन्द्र मिश्र से सदन से बाहर जाने का आग्रह किया गया, बार-बार आग्रह करने के बाद भी सुबीर चन्द्र मिश्र सदन में बने रहे

एजेंडा संख्या - 1.

निर्णय : गत आम सभा में लिए गए निर्णयों को पढ़ कर सदन को सुनाया गया जिसे सदन द्वारा ध्वनिमत से संपुष्टि प्रदान की गई।

एजेंडा - 2. माननीय पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 2 मार्च 2022 के आदेश में वर्णित बिंदुओं पर विमर्श और निर्णय।

निर्णय : अध्यक्ष के आदेश से बीसीए के सीईओ मनीष राज ने सदन को एजेंडा का हवाला देते हुए माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश को पढ़कर सभी सदस्यों को अवगत कराते हुए कहा की अगर संभव हो तो श्री संजय कुमार को वापस लेने पर बगैर किसी दवाव के निष्पक्ष होकर अपनी राय और मत दें, ताकि उन्हें वापस लिया जा सके।

माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश जिसे पढ़कर सभी सदस्यों को सुनाया गया वो निम्न है:

" When the matter was called out for hearing, Mr Raju Giri, learned counsel appearing for Bihar Cricket Association and Mr. Rajeev Kumar Singh along with Mr. Navjot Yesu, learned counsel for the President jointly submit that in the interest of game of cricket, Bihar Cricket Association and the President are willing to settle the matter amicably insofar as expulsion of the petitioner, Sanjay Kumar from the post of Secretary is concerned, they will place a proposal for revocation of expulsion before Special General Body Meeting of the BCA which will be called within a period of 21 days with effect from 04.03.2022 and the decision of the said meeting will be communicated to this Court on 30th of March, 2022. Mr. Rajendra Narain, learned senior counsel, Mr. Dinu Kumar, Mr. Rajesh Kumar Singh, learned counsel appearing for the petitioners have got no objection to this proposal. As jointly prayed for, post these matters on 30th of March, 2022 at 3:00 P.M."

Rajesh Kumar Singh



Affiliated to BCCI

bca@biharcricquetassociation.com

इस विदु पर सभी सदस्यों के बीच लंबे समय तक बहस होती रही, फिर माननीय अध्यक्ष के द्वारा सभी सदस्यों से बारी बारी से अपनी राय बगैर किसी दवाव के निष्पक्ष होकर, कारण सहित देने का आग्रह किया गया, जिसके बाद सदस्यों ने अपनी राय सदन के समक्ष रखी, जो निम्न है:

1. श्री राजेश कुमार (कोषाध्यक्ष, पटना क्रिकेट संघ) ने श्री संजय कुमार के बर्खास्तगी को सही बताया। श्री कुमार ने सभी से आग्रह किया कि इस तरह के कदम अविलम्ब उठाने की जरूरत है जिससे की क्रिकेट में फैली भ्रष्टाचार एवं कदाचार को खत्म किया जा सके। इनके इस वक्तव्य पर सभी सदस्यों ने मेज थपथपा कर सहमति प्रदान की।
2. श्री प्रकाश कुमार (सचिव, वैशाली जिला क्रिकेट संघ) ने श्री संजय कुमार के बर्खास्तगी को सही बताया। साथ ही उपस्थित सम्मानित सदस्यों को श्री संजय कुमार के कार्यकाल के दौरान उनके मनमाने ढंग से वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से पुनः अवगत कराया। श्री प्रकाश कुमार ने सभा एवं लोकपाल एवं नैतिक अधिकारी के लिए गए फैसले पर सहमति एवं संतोष जताई। इनके इस वक्तव्य पर सभी सदस्यों ने मेज थपथपा कर सहमति प्रदान की।
3. श्री संजय कुमार के द्वारा माननीय लोकपाल एवं सदन से बहुमत से पारित निर्णय के अवहेलना करने और बिहार क्रिकेट संघ विरोधी कार्य करते रहने के मामले को अरवल जिला क्रिकेट संघ के श्री कुमार रुपेश रंजन (संयुक्त सचिव) ने सदन को अवगत कराते हुए नैतिक अधिकारी के द्वारा इनकी बर्खास्तगी को सही और क्रिकेट के हित में बताया। जिसे सदन में उपस्थित सदस्यों ने एक मत से मेज थपथपा कर स्वीकृति दी।
4. श्री राजनयन, अध्यक्ष बेगुसराय ने सदन को बताया कि बिहार क्रिकेट संघ के माननीय लोकपाल के 20-02-2020 के निर्णय के प्रभाव से श्री संजय कुमार कार्यमुक्त किये गए है। इसके विरुद्ध श्री संजय कुमार के द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में अपील संख्या CWJC-7791/2020 लंबित है। जबकि बिहार क्रिकेट संघ के नैतिक अधिकारी ने अपने 15-05-2021 के निर्णय में श्री संजय कुमार को बर्खास्त करते हुए एक वर्ष के लिए क्रिकेट से सम्बंधित सारी गतिविधियों से प्रतिबंधित किया है। जिसके विरुद्ध श्री संजय कुमार का अपील माननीय पटना उच्च न्यायालय के डबल बेंच में CWJC-11501/2021 में लंबित है। सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने इस वक्तव्य पर अपनी-अपनी सहमति जताई।
5. श्री राजीव जयसवाल, अध्यक्ष कटिहार जिला क्रिकेट संघ ने सदन को बताया कि श्री संजय कुमार संघ विरोधी घटनायो में लगातार संलिप्त है, इन्होंने साजिश के तहत फर्जी तरीके से कागजात बना कर बिहार क्रिकेट के संचालन में अवरोध डाला है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बिहार क्रिकेट संघ के द्वारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बाधित किया है। श्री राजीव जयसवाल के इस वक्तव्य पर सदन में उपस्थित सारे सम्मानित सदस्यों ने एक स्वर से श्री संजय के कृत की भर्त्सना की एवं श्री राजनयन के वक्तव्य पर अपनी-अपनी सहमति जताई।
6. पूर्वी चंपारण जिला क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि ज्ञानेश्वर गौतम ने 31 जनवरी 2020 को संजय कुमार पर हुई कारवाई को पढ़कर सुनाया और कहा की अब तक जितने भी सम्मानित सदस्यों ने इस मामले में अपनी राय रखी है, और अब तक जो आचरण संजय कुमार का रहा है, उससे बिहार क्रिकेट की गतिविधि और बिहार के क्रिकेटर्स के हितों के कार्य प्रभावित हुए हैं, अतः इन्हें किसी भी सूरत में बिहार क्रिकेट में वापस नहीं लिया जा सकता है। सभी सदस्यों ने मेज थपथपा कर इस वक्तव्य पर सहमति जाहिर की।

निष्कर्ष : सदन में विस्तृत चर्चा के पश्चात सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों की वोटिंग कारवाई गई, जिसके बाद सदन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के डबल बेंच में नैतिक अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील संख्या CWJC-11501/2021 लंबित है साथ ही साथ माननीय लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में अपील संख्या CWJC-7791/2020 लंबित है। सदन में उपस्थित सभी 35 सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्री संजय कुमार को वापस लेना सही नहीं है।

इस एजेंडा पर विमर्श और सदन के निर्णय के बाद अध्यक्ष से इस वास्तविक स्थिति से माननीय पटना उच्च न्यायालय को अवगत कराने के लिए बीसीए के लीगल रिटेनर श्री राजू गिरि (अधिवक्ता-पटना उच्च न्यायालय)

Rajoo Giri



Affiliated to BCCI

bca@biharcrickeassociation.com

को इस बैठक के इस भाग का विवरण समर्पित करने के निर्णय से सदन को अवगत कराया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से अध्यक्ष को अधिकृत किया। सदन ने पूरे मामले से बीसीए के लोकपाल और नैतिक अधिकारी को भी अवगत कराने के लिए अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया।

एजेंडा संख्या - 3.

निर्णय : श्री आशुतोष नंदन सिंह (कोषाध्यक्ष) ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लेखा प्रस्तुत करते हुए सदन को बताया इस Books of accounts के Internal Audit का कार्य चल रहा है। आगामी वार्षिक आम सभा में ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट प्रस्तुत किया जायेगा। कोषाध्यक्ष महोदय के द्वारा बताए गए लेखा संबंधित मामलों से सहमत होते हुए सदन ने कोषाध्यक्ष महोदय को audit report को यथा शीघ्र फ़ाइनल करने हेतु हर तरह के निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया।

एजेंडा संख्या - 4.

निर्णय : अध्यक्ष महोदय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के आगामी चुनाव हेतु चुनाव पदाधिकारी के रूप में Dr. M. Modassir (M.Sc. MBA, Ph. D.) (Retd. IAS), EX-State Election Commissioner जिनको चुनाव कार्य का काफी अनुभव है साथ ही इन्होंने विभिन्न राज्यों के क्रिकेट संघ का भी चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करवाया है कि नियुक्ति एवं नियुक्ति के शर्तों के संदर्भ में सदन को पुनः बताया। श्री ज्ञानेश्वर गौतम ने चुनाव की प्रक्रिया एवं वोटर्स के बारे में सदन को बताने के लिए मननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया। इस पर मननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि इस चुनाव में सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स एवं 38 जिलों के पूर्ण सदस्य जिनको को वोट देने का अधिकार BCA के संविधान के द्वारा प्रदत्त है, अपना मताधिकार का प्रयोग पूर्व के चुनाव में अपनायी गई पद्धति से करेंगे। जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर अग्रेतर कारवाई के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया। साथ ही यह स्पष्ट निर्णय बहुमत से लिया गया कि 2019 के चुनाव में जो नियमावली/प्रक्रिया उस समय के चुनाव अधिकारी द्वारा अपनाई गई थी, वही नियमावली / प्रक्रिया आगामी चुनाव में यथावत रहेगी।

एजेंडा संख्या - 5.

निर्णय : चर्चा के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि आगामी सीजन के लिए कोच, चयनकर्ता, ट्रेनर, फिजियो, प्रिन्सिपल कोच एवं अन्य के नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाने का विज्ञापन निकला जाये। जो भी लोग इस पोस्ट के लिये आवेदन देते हैं उनका इंटरव्यू कर गुणवत्ता के आधार पर, मानदेय पर चर्चा कर फाइनल किया जाये।

एजेंडा संख्या : 6-1

निर्णय : अध्यक्ष महोदय के अनुमति से श्री आशुतोष नंदन कोषाध्यक्ष ने सदन में 26-06-2020 के SGM से प्रस्तावित एवं 25-09-2020 के वार्षिक आम सभा से पारित बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संशोधित संविधान को पढ़ कर सदन को सुनाया एवं सदन को बताया कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संशोधित संविधान के अवलोकन से यह पता चला है कि टंकक की गलती से संविधान में कुछ अंश 26-06-2020 के SGM के प्रोसेडिंग का लिख दिया गया है। इसी तरह की गलतियों अन्य जगहों पर भी हैं, क्रमांक में भी गलती है। इनके सुधार की आवश्यकता है। चर्चा के पश्चात् सदन ने बहुमत से टंकण, क्रमांक को सही करने का एवं जिस धारा/उपधारा को 26-06-2020 के SGM से हटा दिया गया है को संशोधित संविधान से हटा कर अग्रेतर कार्य करने का निर्णय को पास किया। इस कार्य के लिए पूर्व से अधिकृत श्री दिलीप सिंह (उपाध्यक्ष) के साथ कोषाध्यक्ष श्री आशुतोष नंदन को भी अधिकृत किया गया। साथ ही सदन ने यह भी निर्णय लिया कि इन दोनों अधिकृत व्यक्ति में से किसी एक के द्वारा यह कार्य किया जा सकता है। सदन में उपस्थित सदस्यों ने बहुमत से यह भी पारित किया कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संविधान में जो भी त्रुटी है को ठीक किया जाये इसके लिए भी पूर्व से अधिकृत श्री दिलीप सिंह (उपाध्यक्ष) के साथ कोषाध्यक्ष श्री आशुतोष नंदन को भी अधिकृत किया गया।

एजेंडा संख्या : 6-2

निर्णय : अध्यक्ष महोदय के अनुमति से उपाध्यक्ष श्री दिलीप सिंह ने सदन के सामने आज सदन में श्री जय शंकर सिंह (सचिव, लखीसराय जिला क्रिकेट संघ) के द्वारा श्री ज्ञानेश्वर गौतम से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मार-पीट की घटना, जिसके साक्षी सारा सदन है, को चर्चा एवं निर्णय के लिए सदन के पटल पर रखा। इस पर सदन ने एक स्वर से श्री जय शंकर सिंह के इस कृत्य की भर्त्सना करते हुए, उन्हें अविलम्ब बर्खास्त करते हुए सभी तरह के क्रिकेटिंग से वंचित करने की मांग की। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी / चश्मदीद गवाह, श्री आशुतोष नंदन सिंह (कोषाध्यक्ष बिहार क्रिकेट संघ) और श्री संजय कुमार सिंह

Rakesh Kumar Singh



Affiliated to BCCI

bca@biharcrickeassociation.com

(जिला प्रतिनिधि - बिहार क्रिकेट संघ) एवं सदन में उपस्थित विभिन्न जिला क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि ने सदन को बताया कि क्रिकेट भद्रजनों का खेल है एवं इसमें किसी भी तरह के अनुशासनहीनता, गाली-गलीचों और मार-पीट का कोई स्थान नहीं है। पूर्व में भी जय शंकर सिंह (सचिव, लखीसराय जिला क्रिकेट संघ) के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती रही है। जिस पर उन्हें चेतावनी विभिन्न माध्यमों से दिया जाता रहा है। इसके बावजूद उनके द्वारा आज की गयी गलती, किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। इस पर सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने बहुमत से निर्णय लिया कि जय शंकर सिंह (सचिव लखीसराय जिला क्रिकेट संघ) को उनके आज के कृत्य के लिए, जिसका प्रत्यक्षदर्शी सारा सदन है, 6 (छह) वर्षों के लिए निष्काषित किया जाता है। इस अवधि में उनके क्रिकेट के सम्बंधित सारे गतिविधियों पर रोक लगी रहेंगी।

एजेंडा संख्या : 6-3

निर्णय : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री ज्ञानेश्वर गौतम ने सभा में उपस्थित सुबीर चन्द्र मिश्र के द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण तथा आम सभा में की गई हरकत के लिए बीसीए संविधान में वर्णित धाराओं के आलोक में उनपर आजीवन प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। इस मामले पर विमर्श करते हुए सदन ने निर्णय किया कि सुबीर चन्द्र मिश्रा पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के बजाए उन्हें छह साल के लिए क्रिकेट की सभी गतिविधि से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया। इस अवधि में क्रिकेट के किसी भी आयोजन / प्रयोजन / मैच या कोई भी गतिविधि आदि में श्री मिश्रा के प्रवेश पर रोक रहेगी। निष्कासन की अवधि में श्री मिश्रा किसी भी तरह की क्लब, जिला, राज्य या क्रिकेट से संबन्धित कमेटी / सदस्य आदि के पत्र नहीं होंगे। ये क्रिकेट से संबन्धित किसी भी सभा या आयोजन में अपना प्रत्यक्ष या परोक्ष योगदान देने से वंचित किए जाते हैं।

समूचे सदन में मेज थपथपा के ध्वनि मत से पारित किया।

एजेंडा संख्या : 6-4

निर्णय : गोपालगंज जिला क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि चंद्रवंश गिरि ने अध्यक्ष महोदय के आदेश से, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में पूर्ण सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने की प्रक्रिया को रोकने का आग्रह किया, जिसका समर्थन पूर्वी चंपारण जिला क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि ज्ञानेश्वर गौतम समेत ने किया और अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि इस प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगायी जाय। इस पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी ने सदन की राय ली, और सदन के राय के बाद दिये गए वक्तव्य में सदन को बताया कि इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाता है, जिसका पूरे सदन के द्वारा समर्थन किया गया। माननीय अध्यक्ष ने पुनः सदन को बताया कि जहां तक संविधान संसोधन में पूर्ण सदस्यों की संख्या को बढ़ाए जाने की बात है, इस संदर्भ में स्पष्ट है कि पूर्ण सदस्यों की संख्या में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, किसी भी जिला संघ के अस्तित्व को समाप्त करने जैसी कोई बात नहीं है। आज बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में 38 जिला संघ (पूर्ण सदस्य/वोटर) है, यही रहेंगे।

इसके बाद सदन में उपस्थित सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा लिए गए निर्णय को अनुमोदित किया।

एजेंडा संख्या : 6-5

निर्णय : अध्यक्ष के आदेश से मधुबनी जिला संघ के प्रतिनिधि काली चरण ने सदन के को बताया कि बीसीए के वेबसाइट और ईमेल आईडी के संदर्भ में पूर्व में घटित घटना के आलोक में कहा कि अक्सर देखा जाता है कि बीसीए के पदाधिकारी निजी मेल आईडी का उपयोग बीसीए एवं अन्य क्रिया कलापों के लिए पत्र व्यवहार में करते हैं, और किसी भी कारण से उनके बीसीए में नहीं होने कि स्थिति में उक्त मेल आईडी से किया गया पत्र व्यवहार दूसरे पदाधिकारी/बीसीए को प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे कार्य करने में काफी परेशानी होती है, अतः, बीसीए के पदाधिकारी बीसीए के निबंधित मेल आईडी से ही पत्र व्यवहार करें, ताकि जरूरत पड़ने पर बीसीए को सभी सूचना उपलब्ध हो सके। इस प्रकार के मामले को सदन के समक्ष लाने के लिए सदन ने पटना जिला संघ के प्रतिनिधि राजेश कुमार ने काली चरण को धन्यवाद दिया और कहा कि यह मामला काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील है और इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिस पर सदन ने ध्वनिमत से निर्णय लिया कि वेबसाइट और ईमेल व्यवस्था के नियंत्रक बीसीए के माननीय अध्यक्ष होंगे, जिनके निर्देश पर CEO-BCA कार्य करेंगे, बीसीए के सभी पदाधिकारीगण, बीसीए से सम्बद्ध सभी जिला संघ और बीसीए के कर्मचारीगण सिर्फ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के निबंधित ई मेल आई डी @biharcrickeassociation.com का ही उपयोग करेंगे।

Rakesh Kumar Singh



Affiliated to BCCI

bca@biharcrickeassociation.com

एजेंडा संख्या : 6-6

निर्णय : अध्यक्ष के आदेश से कोशाध्यक्ष श्री आशुतोष नन्दन सिंह ने सदन को बताया कि आगामी क्रिकेटिंग सीजन तथा बीसीसीआई के घरेलू मैचों की मेजबानी के संभावनाओं को देखते हुए दैनिक कार्यों के अनुपालन के लिए आदेश / निर्देश / निर्णय लेने हेतु कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के किसी भी पदाधिकारी को अधिकृत किया जाय, ताकि कार्यों का निष्पादन ससमय होता रहे।

इस विदु पर विमर्श के बाद सदन में निर्णय हुआ कि इस संबंध में ऐसे ही पदाधिकारी को इस प्रकार के कार्यों के लिए अधिकृत किया जाय, जो इन सभी मामलों पर निर्णय लेते हुए सफल संचालन करवा सके। इस पर उपाध्यक्ष श्री दिलीप सिंह ने सदन से कहा की आप लोगों की सहमति से हम माननीय अध्यक्ष को सत्र 2022-23 के संचालन एवं निर्णय लेने हेतु अधिकृत करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रख रहे हैं।

इस पर सदन ने ध्वनिमत से माननीय अध्यक्ष को सत्र 2022-23 के सभी कार्यों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत करने का निर्णय किया, जिसका समर्थन कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के सभी उपस्थित सदस्यों ने करते हुए माननीय अध्यक्ष से आग्रह किया की वो इस ज़िम्मेदारी को क्रिकेटिंग सीजन 2022-23 तक के लिए स्वीकार करें। जिस पर माननीय अध्यक्ष ने सदन की राय / निर्णय का आदर करते हुए विनम्रता से अपनी स्वीकृति दी, और सदन के प्रति आभार व्यक्त किया।

इसी के साथ उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन के साथ आम सभा की बैठक को आज के लिए समाप्त करने की घोषणा की।

Rakesh Kumar

राकेश कुमार तिवारी

अध्यक्ष सह कार्यकारी सचिव

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, बिहार, पटना